

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(4)/पंचा/रानिआ/2023/1423

दिनांक: 20/04/2023

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर) भीलवाड़ा, राजस्थान।

विषय:- प्रधान के रिक्त पद पर उप चुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयोग द्वारा आपके जिले की पंचायत समिति माण्डलगढ़ के प्रधान के रिक्त पद पर उप निर्वाचन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रधान के रिक्त पद पर उप निर्वाचन कराए जाने हेतु आयोग द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 63(2) के अन्तर्गत चुनाव तिथि 03.05.2023 एवं नोटिस अवधि 7 दिवस निर्धारित की जाती है। उप चुनाव हेतु आयोजित होने वाली बैठक के लिए समय सारणी निम्नानुसार रहेगी:-

1.	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
2.	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
4.	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
5.	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त पश्चात्
6.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 3.00 बजे से सांय 5.00 बजे के मध्य
7.	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	सांय 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्, जो भी पहले हो

कृपया नियम 59 के अन्तर्गत उक्त पद पर निर्वाचन हेतु उप निर्वाचन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। उप निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के पश्चात् सारणी-1 के साथ एवं प्ररूप-7ए की एक मूल प्रति तैयार कर आयोग कार्यालय में दिनांक 15.05.2023 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 20/04/2023

क्रमांक:एफ. 7(2)(4)/पंचा/रानिआ/2023/1424-1428

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
4. कम्प्यूटर/लेखा/सांख्यिकी/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

143
(पिकी शर्मा)
सहायक सचिव